उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड गोमती नगर,
लखनऊ

दिनांक : 03-11-23

पत्रांक :–H0 2653/सी-2/सा0आ0-प-348/23

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1)(b) के अंतर्गत सभी औद्योगिक इकाईयां, लाल श्रेणी, नारंगी श्रेणी, हरी श्रेणी एवं सफेद श्रेणी में विभाजित करने हेतु दिनांक 07.03.2016 को आदेश पारित किये गये थे, जिसके अनुपालन में श्रेणीवार व्यवस्था को बोर्ड द्वारा दिनांक 29.03.2016 को सम्पन्न बोर्ड की 96वीं बैठक में अंगीकृत करने हेतु अनुमोदनोंपरान्त राज्य बोर्ड के कार्यालय ज्ञाप आदेश दिनांक 18.04.2016 द्वारा अनुपालनार्थ आदेशित किया गया है ।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के अनुपालन में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दाखिल शपथ–पत्र के साथ संलग्न केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 22.09.2023 के द्वारा निम्न निर्देश दिये गये हैं :–

Categorization of sand/riverbed material mining from riverbed and its floodplains (Excluding manual excavation)

Sl. No.	Sl. No. (as per CPCB document)	Non-industrial operations	Category	Remarks
1	63	Sand/riverbed material mining from riverbed and its floodplains (excluding manual excavation)		i. Sand/riverbed material mining from riverbed and its floodplains amy cause ecological disturbances, erosion of riverbed, change in hydro-geological conditions & river ecosystem, etc. ii. Cluster mining means that the distance of mining lease area is less than 500 m from periphery of another lease area. iii. This categorization is made considering the ecological damages and not based on pollution potential/index.
		(i) Mining lease area more than 5 hectares or Mining lease area uo to 5 hectares which is part of cluster mining	Red	
		(ii) Standalone mining lease area up to 5 hectares in areas (not a part of any cluster mining)	Orange	

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 22.09.2023 द्वारा Sand/riverbed material mining from riverbed and its floodplains (excluding manual excavation) को उपरोक्तानुसार तालिका में वर्णित 5.0 हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक खनन परियोजना को लाल श्रेणी एवं 5.0 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक खनन परियोजना को नारंगी श्रेणी में अंगीकृत किया जाता है ।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

पृ0सं0 एवं दिनांक – उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. समस्त मुख्य पर्यावरण अधिकारी/वृत्त प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।
3. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ।
4. वेब मास्टर, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु ।
5. गार्ड फाईल ।

सदस्य सचिव